उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 36/2017

खाजामुद्दीन अंसारी बनाम् राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
23-03-2018		

–: आदेश :–

अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना, एवं निम्न न्यायायल द्वारा पारित आदेश तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

अवलोकन से स्पष्ट है कि बोलेरो पिकअप गाड़ी संख्या–WB-55A-5468 नईसराय मोड़ के निकट लकड़ी के साथ जप्त किया गया है, जिसमें चालान बेलथरिया टिम्बर कोलवली पंचकोटीराज, पुरूलिया का दिखाया गया है। जिसकी जाँच प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ के द्वारा कराई गई, जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त चालान केवल स्थानीय परिवहन हेतु निर्गत है एवं अन्तराज्यीय परिवहन उस परमिट के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। साथ ही वन क्षेत्र पदाधिकारी के अभियोजन से स्पष्ट है कि जप्त लकड़ी अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित करने में असफल रहें कि उक्त जप्त लकड़ी अवैध रूप से परिवहन नहीं किया गया है।

निम्न न्यायालय द्वारा राज्यसात वाद संख्या 04/2017 राज्य बनाम बोलेरो पिकअप गाड़ी संख्या– WB-55A-5468 के स्वामी एवं अन्य तीन में दिनांक 07.11.2017 को पारित आदेश से असहमत होने का कोई ठोस आधार नही है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

23/3/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

23/3/18

उपायुक्त,
रामगढ़।